श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ,
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-१६

क्रमांक एफ 3/2019-20/आरएसवी/शै./2003 दिनांक 22.01.2020

कार्यालय आदेश

विद्वत्परिषद की बैठक दिनांक 21.04.2015 की कार्यसूची संख्या 3.14 के अन्तर्गत लिये गये निणर्य के अनुपालन में वेद-वेदांग के अन्तर्गत विभागीय शोध समीक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक दिनांक 28.01.2020 एवं 29.01.2020 को वेद-वेदांग संकाय के कक्ष सं0 (102) (स्वर्ण जयंती भवन) में प्रात: 10:30 बजे आयोजित की जा रही है:-

०१.	संबंधित संकाय प्रमुख	अध्यक्ष
०२.	संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य एवं संयोजक
०३.	संबंधित निर्देशक	सदस्य
०४.	एक बाह्य विषय विशेषज्ञ (कुलपति द्वारा नामित)	सदस्य (प्रो. वासुदेव शर्मा, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, जम्मू)
०५.	संबंधित विभाग के सभी शिक्षक	सदस्य

उक्त शोध समीक्षा समिति, विभाग के शोध छात्रों की शोध की प्रगति एवं शोध गुणवत्ता में वृद्धि इत्यादि की समीक्षा कर, अपनी संस्तुति प्रदान करेगी । विभाग के शोध छात्रों की शोध की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और विगत 6 मास के शोध कार्य की समीक्षा करेगी । विभागीय शोध समिति की समीक्षा रिपोर्ट के साथ शोध छात्र का प्रगति विवरण आवश्यक कार्यवाही एवं कुलपति की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित किया जायेगा ।

अत: समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में यथासमय उपस्थित होने का कष्ट करें ।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि:-

01. प्रो. प्रेम कुमार शर्मा, वेद-वेदांग संकाय प्रमुख
02. विभागाध्यक्ष-(वेद,पौराहित्य, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्याकरण, एवं धर्मशास्त्र विभाग) का इस आशय से प्रेषित की अपने विभग से सम्बन्ध शोध छात्रों को उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का आदेश दें ।
03. सम्बद्ध विभाग के सभी शिक्षक- वेद, पौराहित्य, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्याकरण, एवं धर्मशास्त्र विभाग
04. सम्बद्ध छात्रों के सूचनार्थ (वेद, पौराहित्य, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्याकरण, एवं धर्मशास्त्र विभाग)
05. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव
06. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर-संगणक केन्द्र (इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना को वेबसाइट पर अंकित करे।)
07. अनुभाग अधिकारी (लेखा) को इस आशय से प्रेषित की बाह्य सदस्य को टी.ए. एवं बैठक भत्ते का भुगतान करवायें)
08. गेस्ट हाउस प्रभारी-को इस आशय से प्रेषित की उक्त अतिथियों में बाह्य विशेषज्ञ की ठहरने एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवायें ।
09. सूचना पट्ट

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)